संख्या- 59/2019/1075/छप्पन-2019-68/2017

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 17 जुलाई, 2019

विषय: रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत संचालित वायु सेवा के लिए वायबिलिटी गैप फण्डिंग (वी0जी0एफ0) के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 116/ना0उ0नि0/2019 दिनांक 22 मई, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत मेसर्स जेट एयरवेज (इण्डिया) लि0 द्वारा नागपुर-इलाहाबाद-इन्दौर-इलाहबाद-नागपुर रूट पर तथा लखनऊ-इलाहाबाद-पटना-इलाहाबाद-लखनऊ रूट पर माह मार्च, 2019 की अवधि के लिए तथा एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि0 द्वारा जयपुर-आगरा-जयपुर रूट पर माह दिसम्बर, 2018 की अवधि के लिए वायु सेवा के संचालन के लिए एम0ओ0यू0 के प्रविधानों के अनुरूप वी0जी0एफ0 क्लेम रूप रू0 1,74,38,148/- के सापेक्ष 20 प्रतिशत वी0जी0एफ0 (राज्यांश) के भुगतान हेतु रु0 34,87,630/- (रुपए चौतीस लाख सतासी हजार छ: सौ तीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को भारत सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य निष्पादित एम0ओ0यू0 के प्रस्तर- 4.2.2(e) के प्राविधान के अनुसार आर0सी0एस0 स्कीम के अन्तर्गत वायबिलिटी गैप फण्डिंग (वी0जी0एफ0) के 20% अंश का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत मेसर्स जेट एयरवेज (इण्डिया) लि0 द्वारा नागपुर-इलाहाबाद-इन्दौर-इलाहबाद-नागपुर रूट पर तथा लखनऊ-इलाहाबाद-पटना-इलाहाबाद-लखनऊ रूट पर माह मार्च, 2019 की अवधि के लिए तथा एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि0 द्वारा जयपुर-आगरा-जयपुर रूट पर माह दिसम्बर, 2018 की अवधि के लिए वायु सेवा के संचालन के लिए एम0ओ0यू0 के प्रविधानों के अनुरूप वी0जी0एफ0 क्लेम रूप रू0 1,74,38,148/- के सापेक्ष 20 प्रतिशत वी0जी0एफ0 (राज्यांश) के भुगतान हेतु रु0 34,87,630/- (रुपए चौतीस लाख सतासी हजार छ: सौ तीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जानी है। उक्त धनराशि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम हेतु कार्यान्वयन संस्था भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा गठित रीजनल एयर कनेक्टिविटी फण्ड

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

ट्रस्ट के माध्यम से सम्बन्धित एयरलाइन कम्पनी को भुगतान की जानी है। अत: श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त आर0सी0एस0 वायु सेवा हेतु एम0ओ0यू0 के प्राविधानों के अनुरूप 20% वी0जी0एफ0 (राज्यांश) के भुगतान हेतु रु0 34,87,630/- (रुपए चौतीस लाख सतासी हजार छ: सौ तीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रु0 34,87,630/- (रुपए चौतीस लाख सतासी हजार छ: सौ तीस मात्र) अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं|

3- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/ प्रतिबन्ध के अधीन है कि स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा|

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखा-लेखाशीर्षक "3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएँ-800-अन्य व्यय-02-रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत वायबिलिटी गैप फण्डिंग -42-अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2019 के प्रस्तर-2(1) में उल्लिखित प्रावधान के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव

पृ0सं0: 59/2019/1075(1)/छप्पन-2019-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
5- महाप्रबन्धक (एफ0 एण्ड ए0)-आर0सी0एस0, रीजनल एयर कनेक्टिविटी फण्ड ट्रस्ट, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003.
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।